नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2016

सा.का.नि.28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (ज्येष्ठ नक्शानवीस) भर्ती नियम, 1980 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में मानचित्रकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड , मानचित्रकार भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान: पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि : भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
मानचित्रकार	4* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2; 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनाधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए	**आवश्यक:-** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मानचित्रकारी में विशेषज्ञता सहित भूगोल में मास्टर डिग्री **वांछनीय :-** (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या संगठन से पारंपरिक और विशेष

					निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	प्रयोजन चिन्हों तथा प्रतीकों के अनुसार मानचित्रों, पांडुलिपियों, विशेष प्रयोजन सर्वेक्षण आंकड़े तैयार करने, फोटोलिथो ग्राफिक रिप्रोडक्शन के लिए रंग पृथकीकरण, स्पष्ट मानचित्र के प्रकाश मिति में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। अनिवार्य प्रशिक्षण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के भाग के रूप में पद के कार्यों के क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण।

आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा : **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक

		वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृंश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
11
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के लिए) 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य 3. वैज्ञानिक 'डी', केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 21/04/2010-सीजीडब्ल्यूबी]

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

New Delhi, the, 19th February, 2016

G.S.R. 28.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board (Senior Cartographer) Recruitment Rules, 1980, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Cartographer** in the Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Ground Water Board, **Cartographer,** Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, the Pay band, grade pay or scale of pay.- The number of post, its classification, the pay band and grade pay or scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cartographer	4 * (2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service (Group'B'), Gazetted, non-Ministerial	Pay Band-2 Rs.9300-34800 Plus Grade Pay Rs.4600	Not applicable

Age limit for direct recruits	Education and other qualification required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Proba-tion, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essenetial:** (i) Master's Degree in Geography with specialisation in cartography from a recognised University. **Desirable:** (ii) Three years experience in Photogrammetry in the preparation of maps, manuscripts, special purpose survey data, according to conventional and special purpose signs and symbols, in colour separation fair mapping for photo lithographic reproduction from a recognised Institute or Organisation. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission (for the reasons to be recorded in writing) in case candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union	Not applicable	Two years

	Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Mandatory Training:** At least two weeks mandatory training the field of duties of the post as part of successful completion of probation.		

Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grade from which promotion / deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
Direct recruitment **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year, the same may be filled on deputation basis from offices of the Central Government. (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; (ii) with five years regular service in the posts in the pay band 2 of Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4200; and (b) Possessing the educational qualification and desirable experience as prescribed for direct recruitment under Column 7.	Not applicable	**Group'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:** 1.Chairman, Central Ground Water Board - Chairman 2.Director (Administration), Central Ground Water Board - Member 3.Scientist 'D', Central Ground Water Board - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F. No. 21/04/2010-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 29.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और औद्योगिक सांख्यिकी, निदेशक, कोलकाता, कैबिनेट सचिवालय के कार्यालय में साधारण केन्द्रीय सेवा के समूह III भर्ती नियम, 1959 को अधिक्रांत करते हुए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (औद्योगिक सांख्यिकी खण्ड), कोलकाता में अवर श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-